रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042026-271549
CG-DL-E-03042026-271549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1603] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948
No. 1603] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

सं. 67/2025-26

विषय: कूरीयर निर्यात हेतु प्रति-खेप मूल्य सीमा हटाने के लिए एफटीपी 2023 के पैरा 9.05 में संशोधन।

सा.आ. 1668(अ). — समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा **विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 (कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से निर्यात) के पैरा 9.05 में निम्नानुसार संशोधन करती है:**

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी अधिसूचना(ओं) के अनुसार पंजीकृत कूरीयर सेवा/विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों की निर्यात योग्यता यथा अधिसूचित एफटीपी/आइटीसी	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जारी अधिसूचना(ओं) के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा/विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात की अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों की निर्यात योग्यता यथा अधिसूचित

(एचएस) में निर्यात नीति के अनुसार विनियमित की जाएगी। **कूरीयर सेवा के माध्यम से निर्यात हेतु मूल्य सीमा प्रति खेप 10,00,000 रुपये होगी।**	एफटीपी/आइटीसी (एचएस) में निर्यात नीति के अनुसार विनियमित की जाएगी। **कूरीयर सेवा के माध्यम से निर्यात हेतु प्रति खेप कोई मूल्य सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।**

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: कूरीयर सेवा के माध्यम से निर्यात हेतु प्रति खेप मूल्य सीमा दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से हटा ली जाएगी।

[फा.सं. 01/89/180/07/एएम-23/पीसी-9/ई-3191866]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March 2026

No. 67/2025-26

Subject: Amendment in Para 9.05 of FTP 2023 to remove per-consignment value limit for courier exports - regarding.

S.O. 1668(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends **Para 9.05 of Foreign Trade Policy (FTP) 2023 (Export through Courier Service/Post) as under** :

Existing Text	Revised Text
Exports through a registered courier service/Foreign Post Office is permitted as per Notification(s) issued under Customs Act, 1962. However, exportability of such items shall be regulated in accordance with FTP/Export Policy in ITC(HS) as notified. **The value limit for exports through courier service shall be Rs. 10,00,000 per consignment.**	Exports through a registered courier service/Foreign Post Office is permitted as per Notification(s) issued under Customs Act, 1962. However, exportability of such items shall be regulated in accordance with FTP/Export Policy in ITC(HS) as notified. **There shall be no value limit prescribed per consignment for exports through courier service.**

2. The given amendment shall come into effect from April 01, 2026.

Effect of this Notification: The value limit per consignment for exports through courier service shall stand withdrawn with effect from April 01, 2026.

[F. No. 01/89/180/07/AM-23/PC-9/E-3191866]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Additional Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.04.03 12:57:30 +05'30'